

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

फा. सं. 7(1)/रा. स्था./स.र./सा.प्र./99/1415.—

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 358 दिनांक 2-8-2011 के संदर्भ में श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) ने दिनांक 5-8-2011 को ए.डी.एम. (उत्तर जिला), जिला उत्तर का कार्यभार संभाल लिया है।
अतः—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं।

te
d
ti
r,
3
i

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं ।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री शमीम अख्तर (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में ए.डी.एम. के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21(3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेट अथोरिटी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2011

F. No. 7(1)/Rev. Estt./S.R./GA/99/1415.—In pursuance of Services Department's order No. 358 dated 2-8-2011, Sh. Shamim Akhtar, DANICS has joined as Additional District Magistrate (North) on 5-8-2011. Now, therefore :—

1. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Shamim Akhtar, DANICS as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates him the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
2. In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sh. Shamim Akhtar, DANICS to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
3. In exercise of the powers conferred by Section 105(1)(A) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Shamim Akhtar, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
4. In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(A) of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Shamim Akhtar, DANICS the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
5. In exercise of the powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Shamim Akhtar, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
6. In exercise of the powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby appoint Sh. Shamim Akhtar, DANICS as appellate authority and delegate him the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy. (Revenue)